XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला– सीधी

प्रकरण कमांक रेस्टो. 1250-II/15

न तथा नांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-7-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्को पर विचार किया । अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता हैं । दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के. सिंह) सदस्य	

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक : /2015 रेस्टो० 1250-II-15

(1) भोलाराम तिवारी पिता स्व० चन्द्रभान राम
(2) रामस्वरूप तिवारी पिता स्व० चन्द्रभान राम
निवासी ग्राम मिसिरगवां [illegible]
[illegible] तहसील गोपदबनास जिला सीधी

——आवेदक

विरूद्ध

रामसुशील तिवारी पिता स्व.
चन्द्रभान राम निवासी ग्राम
मिसिरगवां [illegible] तहसील
गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)

——अनावेदक

श्री ~~विनोद भार्गव एडवोकेट~~
द्वारा आज 30-5-15 को
पस्तुत

30/5/15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
30/5/15

1 यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक R-2190-II/12 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 30/5/15 को नियत था।

2 यह कि, नियत दिनांक 30/5/15 को आवेदक के अधिवक्ता/अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को 30/5/15 को उपस्थित नही हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को मई में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।

3 यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक R-2190-II/12 पुर्न स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

दिनांक 30/5/15
स्थान–ग्वालियर

प्रार्थी
भोलाराम तिवारी आदि आवेदकगण
(द्वारा–[illegible])
[illegible]